बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स०:–2/अ0प्र0–1–51/2022 272 /पटना, दिनांक :– 30-1-24

श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत बेला सिमरी से भगवानचक (पैकेज संख्या–BR-17R-072) पथ की फर्जी समय वृद्धि के आधार पर राशि की निकासी करने संबंधी मामले में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगडिया के पत्रांक 1148 अनु0 दिनांक 18.08.2022 से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 1690 अनु0 दिनांक 10.10.2022 द्वारा श्री यादव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री यादव के पत्रांक 1340 दिनांक 04.11.2022 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तद्लोक में श्री यादव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक 523 दिनांक 15.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके निमित मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3037 अनु0 दिनांक 26.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री यादव के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त की गई सहमति के आलोक में विभागीय पत्रांक 2385 अनु0 दिनांक 08.11.2023 द्वारा श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री यादव के पत्रांक–शून्य दिनांक 09.11.2023 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय बचाव बयान में श्री यादव द्वारा प्रश्नगत् मामले में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 1148 दिनांक 18.08.2022 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि समयवृद्धि से संबंधित पत्र में छेड़–छाड़ प्रमंडल स्तर पर नहीं किया गया है। साथ ही बिहार लोक लेखा संहिता के कंडिका–24(i) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि कागजों को जाँचने एवं उचित ढंग से रखने का दायित्व प्रमंडलीय लेखापाल/लेखा पदाधिकारी का है। श्री यादव द्वारा यह भी कहा गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत समयवृद्धि के साथ संलग्न आवेदन में वर्णित पत्रांक (2596 दिनांक 13.10.2020) के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह कहीं नहीं प्रतीत हो रहा था कि उक्त पत्र फर्जी है, क्योंकि उक्त पत्र पर अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, PMGSY का सही हस्ताक्षर था। साथ ही संलग्न कागजातों पर भी संबंधित पदाधिकारियों का सही हस्ताक्षर अंकित था। श्री यादव द्वारा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा संवेदक के आवेदन के साथ संलग्न विभागीय समयवृद्धि की स्वीकृति के पत्र की जाँच कर उपस्थापन करने का आदेश रोकड़पाल (श्री अशोक कुमार राय) को दी गई, जिसपर उनके द्वारा सहायक लेखा प्रबंधक से जाँच कराने के उपरांत समयवृद्धि का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया, जिस पर लेखा पदाधिकारी की सहमति के उपरांत उनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई की गई। बाद में उक्त पत्र पर दिए गए उनके आदेश को संचिका से गायब कर दिया गया। इस प्रकार कार्यालय कर्मियों द्वारा गलत मंशा से उनके समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर भुगतान की कार्रवाई करवाने का कार्य किया गया। इस तथ्य की पुष्टि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्रांक 1149 दिनांक 18.08.2022 द्वारा होती है, जिसमें उल्लेखित है कि जाँच के उपरान्त संचिका में सिर्फ नोटिंग

पाया गया, जबकि बाकी भुगतान से संबंधित पत्र संचिका से गायब पाया गया। आलोच्य पथ के समयवृद्धि के भुगतान में उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं दिये गये निर्देश के उपरान्त कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया। श्री यादव द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मामले का संज्ञान में आने के उपरान्त उनके द्वारा राशि जमा कराने हेतु संवेदक को मौखिक निदेश दिया गया। इस आलोक में समयवृद्धि मद में स्वीकृत/भुगतान की राशि रू0–22,23,491/की वसूली संवेदक से कर ली गई है।

6. श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता–1 द्वारा अपने मंतव्य में यह उल्लेख किया गया है कि श्री यादव द्वारा सहायक लेखा प्रबंधक से जाँच कराने के उपरांत लेखा पदाधिकारी की सहमति के उपरांत इनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई की गयी। समय वृद्धि की स्वीकृति से संबंधित विभागीय पत्र के Edited होने संबंधी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् श्री कुलानंद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संवेदक से समय वृद्धि की राशि रू० 22,23,491/– वसूल किया गया। कार्यालय प्रधान होने के नाते कार्यपालक अभियंता को योजना से संबंधित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों की भी जिम्मेवारी होती है। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये हर प्रस्ताव/विभागीय पत्र की सत्यता की जाँच करना दुष्कर कार्य है। अतएव श्री कुलानंद यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य माना जा सकता है। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्य अभियंता–1 के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए श्री यादव के बचाव बयान को स्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकृत करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

8. अतः उक्त के आलोक में श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकृत करते हुए इन्हें प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश) 30/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 273 /पटना, दिनांक :– 30-1-24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 273 /पटना, दिनांक :– 30.1.24

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–51/2022 273 /पटना, दिनांक :– 30.1.24

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

25/1/24

अवर सचिव